निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1935 (शo)

(सं0 पटना 815) पटना, शुक्रवार, 18 अक्तूबर 2013

सं0 प्र03विविध-नि0-26/2011—**210**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

16 जनवरी 2013

विषयः—कृषि रोड मैप के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की भंडारण क्षमता में 2.18 लाख मे0टन की वृद्धि किये जाने हेतु 211 गोदामों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

सरकार द्वारा जन हित में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा- बी0पी0एल0, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, ए0पी0एल0, एम0डी0एम0 इत्यादि के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठाव, भण्डारण एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को वितरण का कार्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (राज्य खाद्य निगम) द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त रब्बी एवं खरीफ विपणन मौसम में क्रमशः गेहूँ एवं धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी बनाया गया है । उक्त कार्यो हेतु राज्य खाद्य निगम को निम्न प्रकार भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है :-

	मद	आवंटन/अधिप्राप्ति लक्ष्य (लाख मे0टन)	आवश्यक भण्डारण क्षमता (लाख मे0टन)
1	TPDS	4.35	⅓ x 4.35=1.45
2	गेहूँ अधिप्राप्ति	15.00	⅓ x 15.00=5.00
3	धान अधिप्राप्ति	30.00	⅓ x 30.00=10.00

कुलः-16.45

वर्त्तमान में राज्य खाद्य निगम के अधीन कुल 5.05 लाख मे0टन भण्डारण क्षमता के गोदाम कार्यरत है । इस प्रकार सम्प्रति राज्य खाद्य निगम के पास 11.40 लाख मे0टन भण्डारण क्षमता की कमी है । भंडारण क्षमता की इस कमी को पूरा करने हेतु कृषि रोड मैप के अन्तर्गत वर्ष 2017 तक

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा कुल 10.00 लाख मे0टन भंडारण क्षमता की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रथम चरण में 347 पुराने प्रखण्डों, 49 बाजार समिति प्रांगण एवं निगम द्वारा अधिगृहित 4 भूखण्डों पर 423 गोदामों, जिनकी सम्मिलित भंडारण क्षमता 2.84 लाख मे0टन है, का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

कृषि रोड मैप के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में राज्य की भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए वर्ष 2012-13 में 24 बाजार समिति प्रांगण, अरवल स्थित एक सरकारी भूखण्ड जहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है एवं 186 अवशेष प्रखंड परिसर में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए क्रमशः 5000 मे0टन एवं 500 मे0टन क्षमता के कुल 2.18 लाख मे0टन के कुल 211 गोदामों का निर्माण भवन निर्माण विभाग, बिहार के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है । इस योजना पर कुल संभावित व्यय 169.27 करोड़ है । तत्काल, उपलब्ध उद्व्यय एवं बजट प्रावधान के अन्तर्गत योजना क्रियान्वित की जाएगी । शेष रू0 149.27 करोड़ की राशि का उपबंध राज्य योजना से किया जायेगा ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को ''बिहार गजट'' के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 815-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in